बिन्दु ए से बी दर्शाया है। उक्त विवेचन से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है।

आदेश

प्रार्थी असमान सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम चंवरा पटवार हल्का चंवरा की सरहद में स्थित वर्तमान भूमि खसरा नम्बर 446 मे आवागमन हेतु तहसीलदार उदयपुरवाटी से दिनांक 08.09.2021 को प्राप्त फर्द मौका मय नजरी नक्शा में लाल स्याही से प्रस्तावित किये गये रास्ते को राजकीय रास्ता कायम किया जाता है। प्रार्थी उक्त रास्ते में समायोजित होने वाली भूमि के बदले डी0 एल0 सी0 दर की दुगनी राशि को तहसीलदार उदययुपरवाटी के पास जमा करवाऐ एवं तहसीलदार उदयपुरवाटी को आदेशित किया जाता है कि उक्त जमा डी0एल0सी0 दर की दुगनी राशी को जिस खातेदारी की भूमि रास्ते में समायोजित हो रही है, को नियमानुसार भुगतान करे तथा उक्त रास्ता को राजस्व रिकार्ड में राजकीय रास्ता दर्ज करते हुए नक्शा ट्रेस में भी अंकित करें। तहसीलदार उदयपुरवाटी से दिनांक 08.09.2021 को प्राप्त मौका जॉच रिर्पोट मय नजरी नक्शा इस आदेश का हिस्सा रहेगी।

14.9.21

(राम सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी,
उदयपुरवाटी

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

निर्णय आज दिनांक 14.09.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

14.9.21

(राम सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2022.06.23 12:56:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

Scanned with CamScanner